82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1370—एक/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—06—2006 के द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 65/2005—06/ निगरानी

.....

आशारामसिंह पुत्र मंगलसिंह ठाकूर
निवासी— ग्राम चिटावली तहसील
मेंहगांव जिला— भिण्ड़, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— हरनामसिंह
2— गिरवरसिंह, पुत्रगण जसवंतसिंह ठाकूर
3— रामवीर सिंह
4— शिशुभानसिंह
5— श्यामवीर सिंह
6— सुमेरसिंह, पुत्रगण लालसिंह
निवासीगण—ग्राम चिटावली तहसील
मेंहगांव जिला— भिण्ड़, म0प्र0
7— मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/2005—06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16—06—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदक आशाराम पुत्र मंगलसिंह द्वारा ग्राम–चिटावली में स्थित विवादित भूमि कुल किता 10 रकबा 7.55 है0 के बटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वृत्त अमायन के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार वृत्त अमायन ने अपने प्र.क्र. 06/2003–04/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2004 द्वारा फर्द बटवारा स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक आशाराम सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव के समक्ष इस आशय का मय आवेदन अपील प्रस्तुत की गई, कि तहसीलदार द्वारा जो बटवारा किया गया है, उसमें आराजी क्र0 67 रकबा 0.36 है0 अनावेदकगण को दी तथा सर्वे क्र0 65 रकबा 0.32 आवेदक के हिस्से में दी गई है, जबकि आवेदक का सर्वे नं0 67 पर कब्जा था। ग्राम पटवारी द्वारा बिना जानकारी दिये फर्द पर हस्ताक्षर करा लिये गये। मौके की स्थिति का ज्ञान न होने से तथा फर्द पर हस्ताक्षर कर दिये थे। इसी कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया साथ ही अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन–पत्र भी पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव ने अपने प्र.क्र.21/2004–2005/अ.मा.में पारित आदेश दिनांक 10.03.2006 को विचारण न्यायालय नायब तहसीलदसर वृत्त अमायन का आलोच्य आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनावेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो प्रकरण क्रमांक 65/2005–2006/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.06.2006 से स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश के निष्कर्षों के पद–2 में तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाले थे, कि पूर्व बटवारे के ऊपर किसी न्यायालय का नाम नहीं है और न ही तहसील के प्रकरण में फर्द के प्रकाशन के संबंध में कोई आदेश दिया गया है। फर्द के प्रकाशन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष यह था, कि जो फर्द प्रकरण में लगी है उस पर कोई जावक नम्बर नहीं है, इश्तहार का क्रमांक दर्ज नहीं है और नहीं उस पर फर्द जारी करने का दिनांक लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा फर्द का प्रकाशन नहीं किया गया, जो कि संहिता की धारा –178 के अन्तर्गत निर्मित नियम –2 का उल्लंघन है। अनुविभागीय अधिकारी, ने अपने निर्णय में अपील स्वीकार करने के लिये यह भी

गया था कि प्रकरण में जो फर्द उपलब्ध है, वह वस्तुतः फर्जी कार्यवाही है। फर्द की तिथि में हेराफेरी की गयी है तथा उसमें काटछांट भी की गई है। इस कारण उन्होंने प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया था। उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि संहिता की धारा 178 नियम–6 के अनुसार तहसीलदार का यह कर्त्तव्य था कि बंटवारे की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वह पक्षकारों की आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते तथा प्राप्त आपत्तियों पर सुनवायी कर उनका निराकरण करते। परन्तु तहसीलदार ने उक्त नियम का पालन ही नहीं किया। उपरोक्त पदों में वर्णित आधारों से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के अभिलेख में हेराफेरी की गई है। आवेदक का आधिपत्य सर्वे क्रमांक–67 पर था जबकि उसे धोखे में रखकर, उसे सर्वे क्रमांक–65 बंटवारे में दिया गया। बंटवारे के प्रकरण में दोनों पक्षों को उनके आधिपत्य के अनुसार समान भूमि दी जानी चाहिये थी। बंटवारे के प्रकरण में समयावधि के तकनीकी बिन्दु पर किसी पक्षकार को उसके अधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विवेक का उपयोग करते प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया था। अपर आयुक्त ने ऐसे आदेश को निरस्त करने में गंभीर भूल की है। पुनरीक्षण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समयावधि के बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ताओं ने तर्क में वही तथ्य उठाये है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मेमों में वर्णित है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालयों के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि विवादित भूमि ग्राम चिटावली का बंटवारा संबंधी आवेदन पत्र विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमायन के समक्ष आवेदक आशाराम पुत्र मंगल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने अनावेदकगण को तलब करने व इश्तहार जारी करने का दिनांक 07.08.2002 को आदेशित किया। दिनांक 17.09.2002 को अनावेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उसके उपरान्त मौजा पटवारी को तलब कर विवादित भूमि की मौके पर

कब्जा अनुसार फर्द तैयार कराकर उसका विधिवत् प्रकाशन कराया गया । नियत अवधि में जब कोई आपत्ति नहीं आई, तो आवेदक आशाराम पुत्र मंगल सिंह के व मौजा पटवारी के कथन कराये गये, जिसमें आवेदक आशाराम एवं मौजा पटवारी ने यह स्वीकार किया कि फर्द मौके पर कब्जा मुताबिक तैयार की गई है, बटवारा किया जावे । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया। आवेदक ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.04 के विरूद्ध दिनांक 29.10.05 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि और धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत उल्लेख किया कि जब वह विवादित भूमि कर जोतने गया, तब उसे फर्द बटवारा में किये आदेश की जानकारी हुई कि उसका कब्जा आराजी क्र. 67 रकवा 0.36 है0 पर था और बटवारा आदेश में उसे आराजी क्र.65 रकवा 0.32 है0 भूमि दी गई है। जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की जा रहीं है, जिसे स्वीकार किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव ने विचारण न्यायालय के अभिलेख पर गौर करते तो पाते कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा स्वीकार करने की दशा में फर्द बटवारा स्वीकार किया गया। यदि आवेदक को कोई आपत्ति थी तो वह विचारण न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था जो की। इस प्रकरण में तो अनावेदकगण उपस्थित भी नहीं हुये थे । उनके विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया कि अपील करने में इतना विलंब क्यों हुआ और न ही उसने दिन–प्रतिदिन के विलंब का कोई कारण प्रस्तुत किया। न्याया द्वष्टांत 1989 राजस्व निर्णय 243 गोदावरीबाई विरूद्ध विमला बाई ने माननीय रानस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धरित किया गया है कि ''विलंब के लिए माफी देना– प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । पर्याप्त कारण विषयक निष्कर्ष दिए बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती''। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मेंहगाव में संचालित प्र.क्र. 83ए/2005/इ.दी. में पारित आदेश दिनांक 02.02.06 की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा. दी. निरस्त किया गया है। जहॉ तक आवेदक के विद्धान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र का प्रश्न है। इस संबध में न्याय द्वष्टांत 1997 राजस्व निर्णय 208 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि ''संहिता की धारा 50 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि निगरानी

के अधिकार कलेक्टर, आयुक्त तथा राजस्व मण्डल सभी को है और यह पक्षकार पर निर्भर करता है कि वह किसके समक्ष निगरानी प्रस्तुत करें । इस प्रकार आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य किया जाता है। इस प्रकरण में आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि वह लगभग डेढ़ वर्ष के उपरान्त ही क्यों मौके के अनुसार भूमि जोतने गया आादि। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव ने केवल आवेदक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ही ऐसा आदेश पारित किया, वरना इस प्रकरण में विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाड़ं करने का कोई कारण नहीं हो सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव का आलोच्य आदेश विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगाव द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.03.2006 निरस्त किया जाकर विचारण, न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमायन का आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.04 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2006 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। फलतः निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर